संख्या-एम0-4-14/2000 ३०५ /वि0 (2)

बिहार सरकार
वित्त विभाग

पटना, दिनांक- १३/३/२०००

प्रेषक,

प्रत्यूष सिन्हा,
आयुक्त-सह-सचिव
वित्त विभाग, बिहार पटना ।

सेवा में,

सभी आयुक्त-सह-सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
क्षेत्रीय विकास आयुक्त राँची
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, राँची
सभी जिलाधिकारी/उपायुक्त

विषय- आवंटित निधि का कोषागार से निकासी कर बैंक खाते में रखे जाने पर प्रतिबंध के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि कुछ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा आवंटित निधि को कोषागार से निकासी कर बैंक खाते/बैंक ड्राफ्ट/नकद रूप में रखा जा रहा है जबकि नियमानुसार सिर्फ उतनी ही राशि की निकासी की जा सकती है जिसका व्यय तुरंत किया जाना है । तुरंत व्यय से अधिक निकाली गई राशि घोर वित्तीय अनियमितता का द्योतक है । महालेखाकार से भी ऐसी सूचना मिली है कि कुछ विभागों के अन्तर्गत राशि की निकासी कर अनाधिकृत रूप से बैंक खाते में रखा जा रहा है । सरकार ने इन मामलों को काफी गंभीरता से लिया है ।

2. बिहार कोषागार संहिता भाग-I के नियम-300- एवं उसकी टिप्पणी के प्रावधानों के अनुसार तुरंत व्यय के लिए ही आवश्यक राशि की निकासी राजकोष से अनुमान्य है । वित्त विभाग के ज्ञाप सं0 -10383/एफ0 दि0 28.9.1974 पत्रांक-1307/वि(2) दि0 13.3.97, 4128/वि (2) दि0 22.7.97, 499/वि0 दि0-3.3.1998 द्वारा भी राशि को बैंक खाता में नही रखे जाने संबंधी निदेश निर्गत किए गए है । वित्त विभाग के पत्रांक एम-4-05/98-2561/वि (2) दि0 17.4.1998 जो वित्तीय वर्ष 1998-99 तथा आगामी वर्षों के लिए निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्यवस्था के संबंध में स्थायी अनुदेश निर्गत है की कंडिका -15 एवं 17 में भी यह निदेश दिया गया है कि किसी भी हालत में निकासी की गई राशि को बैंक खाता में नहीं रखा जाय ।

3. ज्ञात है कि दिनांक [illegible] को माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में विभागीय आयुक्त एवं सचिवों/सचिवों/विभागाध्यक्षों की हुई बैठक में माननीय मंत्री महोदय द्वारा कठोर निदेश दिया गया था कि बैंक में जमा राशि या बैंक ड्राफ्ट के रूप में रखी गयी राशि को तीन दिनों के अन्दर राजकोष में जमा करा दिया जाय तथा अनावश्यक राशि की निकासी नहीं की जाए। वित्त विभाग द्वारा दिए गये उक्त निदेशों तथा माननीय मंत्री महोदय के स्पष्ट आदेश के बावजूद यह अत्यंत खेद का विषय है कि कुछ विभागों के अन्तर्गत राशि की निकासी कर उसे बैंक खाते में रखा जा रहा है।

4. यह निर्णय लिया गया है कि बैंक में जमा राशि या बैंक ड्राफ्ट के रूप में रखी गयी राशि अविलम्ब राजकोष में जमा करा दी जाय तथा बैंक खाते बन्द कर दिए जायें। आपसे अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार समीक्षा कर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि बैंक में जमा राशि या बैंक ड्राफ्ट के रूप में रखी गई राशि राजकोष में जमा करा दी गई है। पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर राजकोष में जमा करायी गई राशि के संबंध मे प्रतिवेदन वित्त विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

5. यदि किसी विभाग को सरकार के स्तर से निर्गत विशिष्ट आदेश के तहत बैंक में राशि जमा करने की अनुमति प्राप्त है तो उन मामलों में एक अलग प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

6. विभाग/विभागाध्यक्ष के स्तर से की जाने वाली कार्रवाई के अतिरिक्त प्रमण्डलीय आयुक्त प्रमण्डल स्तर पर तथा जिलाधिकारी/उपायुक्त जिला स्तर पर सभी विभागीय कार्यालय द्वारा उक्त निदेशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिये यथोचित कार्रवाई करेंगे तथा कृत कार्रवाई के परिणामों से वित्त विभाग को अवगत कराने की कृपा करेंगे।

7. भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बैंकों में राज्य सरकार की जमा राशि के सम्बन्ध मे सूचना एकत्र की जा रही है। मुख्य लेखा नियंत्रक से भी इसकी जाँच करायी जा रही है। अनाधिकृत रूप मे बैंक खातों में राज्य सरकार की जमा रकम के समीक्षोपरान्त दोषी पाये गए अधिकारियों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता बरतने के आरोप में उचित दण्डात्मक, विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर सम्बन्धित पदाधिकारी के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई कर वित्त विभाग को सूचना उपलब्ध करायी जाय।

विश्वासभाजन

(प्रत्यूष सिन्हा)

आयुक्त-सह-सचिव,

वित्त विभाग, बिहार